कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, फतेहपुर।

पत्रांक - 3392/27-4 फतेहपुर, दिनांक- 19/05/2021

सेवा में,

चीफ जनरल मैनेजर,
रीजनल कार्यालय,
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड,
सिविल लाइंस, कानपुर।

विषय: जनपद फतेहपुर में कानपुर–प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-19) कि.मी. 519.000 से 552.000 के मध्य मार्ग की बायी पटरी पर 33.00 कि.मी. लम्बाई में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित (300 mm) कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु कुल 0.99 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

संदर्भ: विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग 2 का पत्र संख्या P52/81-2-2021-800(55)/2021 दिनांक 30.3.2021

विषयक प्रस्ताव में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा 19 बिंदुओं के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति में वर्णित समस्त शर्तों के अनुपालन में निम्न प्रकार धनराशि जमा करते हुए अनुपालन आख्या मय संलग्न के पांच प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(01) सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 9 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की धनराशि 6,19,740/- (छ लाख उन्नीस हजार सात सौ चालीस मात्र) ऑनलाइन पोर्टल से जनरेट चालान के माध्यम से उत्तर प्रदेश कैंपा फंड में जमा कराएं।

(02) शर्त संख्या 18 के अनुपालन में 20 किलोमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि रु 93,60,000/- दिनांक 7 जुलाई 2010 को प्रभागीय निदेशक कार्यालय सामाजिक वानिकी प्रभाग जनपद गाजियाबाद में जमा कराई जा चुकी है। (प्रतिलिपि संलग्न)

संलग्नक: यथोपरि

for प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग,
फतेहपुर।

पत्रांक 3392 / दिनांकित

प्रतिलिपि: मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ.प्र. वन मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: वन संरक्षक, प्रयागराज वृत्त, प्रयागराज को सूचनार्थ प्रेषित।

for प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग,
फतेहपुर।

Scanned with CamScanner

posal No. : FP/UP/Pipeline/116044/2020

शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V) की धनराशि की गणना

इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–19 (कानपुर–प्रयागराज रोड) के कि.मी. 519.00 से कि.मी. 552.00 कुल लम्बाई 33.00 किमी एवं 0.99 हे0 संरक्षित वन भूमि में एच.डी.डी तकनीकी के माध्यम से भूमिगत (300एम.एम) व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.99 हे0 भूमि की शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना निम्न है :–

1. प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल :– 0.99 हे0
2. ईको क्लास :– 03
3. प्रभावित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व :– 0.1
4. उपरोक्त इको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व वाले वन भूमि का शुद्ध वर्तमान दर :– रु0 6.26 लाख प्रति हे0
5. प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य :– **0.99 X 626000**
   = **619740.00**
   (रुपया छः लाख उन्नीस हजार सात सौ चालिस मात्र)

उपरोक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी। तथा भविष्य में यदि उक्त दर में कोई बढ़ोत्तरी होगी तो तदानुसार धनराशि देय होगी।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर

58

igl

INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

Ref: IGL/PNG/STEEL/FOREST/ 1776 Date: 7 July 2010

To,

District Forest Officer
Sec 23 Sanjay Nagar
Ghaziabad

Kind Attn: Mr. Yashpal Malik

Subject: Laying of 12"/16"/18", 26.6 Km Gas Pipeline from GAIL SV-1 (Behind Dasna Jail) on Dadri Bawana Pipeline to GAIL SV-1 at Ghazipur

Dear Sir,

This is reference to your letter No 74/22-1 Dated 3-July-2010 for planting three row of trees in twenty Kilometer and administrative cost @ 4 % for planting the trees for amount of **Rs.93.60,000/- (Rupees Ninety Three Lacs Sixty Thousand Only)**.

Enclosed please find demand draft No.017022 dated 7-July-2010 of Rs.90,00,000/- for planting three row of trees in twenty Kilometer and draft No.017024 dated 7-July 2010 of Rs.**3,60,000/-** against administrative cost @ 4 % in favour of "Divisional Director, Social Forestry Division, Ghaziabad.

We therefore request you to provide the permission for laying the pipeline in order to commence the project of national & environmental importance at the earliest.

Thanking you and assuring you our best cooperation at all times.

Thanking You,

7/7/10
SFD 973.

Yours Sincerely,

Vikas Bansal
Chief Manager

Encl: Demand draft No.017022 dated 7-July-2010 of Rs.90,00,000/-

57

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद

पत्रांक : 74 / 22-1 दिनांक गाजियाबाद 3 जुलाई, 2010

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक,
इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड,
आई0सी0एल0 भवन,
प्लाट नं0–4, आर0के0 पुरम,
सेक्टर–9, नई दिल्ली।

विषयः **गाजियाबाद में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा मोहन नगर चौड़ाहे से महामाया स्टेडियम तक तथा हापुड़ चुंगी से डासना पुलिस चेक पोस्ट तक गैस पाइप लाइन डालने हेतु 0.872 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।**

संदर्भः उ0प्र0 शासन की पत्र सं0–जी0आई0–196 / 14–2–2010–1017 / 10 दिनांक 02.07.2010

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश जो मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित तथा इस कार्यालय तथा आपको भी पृष्ठांकित किया गया है के बिन्दु सं0–15 के क्रम में प्रस्तावक विभाग इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा। उक्त के क्रम में 20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु निम्नानुसार धनराशि का ड्राफ्ट प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद के नाम से भेजने का कष्ट करें ताकि उक्त धनराशि से वृक्षारोपण कराया जा सके। धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0सं0	विवरण	दर प्रति कि0मी0	बांछित धनराशि
1	20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण	रू0 4,50,000 / –	रू0 90,00,000 / –
2	प्रशासनिक व्यय	4 प्रतिशत	रू0 3,60,000 / –
कुल योग :–			रू0 93,60,000 / –

भवदीय

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद